न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष आशीष श्रीवास्तव,

सदस्य

यह निगरानी प्रकरण क्रमांक 4187/दो/२०१३ विरूदध पारित आदेश दिनांक २३-१०-२०१३ अपर आयुक्त रीवा के प्रकरण क्रमांक 858-12-13

१- कामता सिंह तनय बसंत सिंह निवासी घूरडांग तहसील रघुराजनगर
जिला सतना मध्य प्रदेश

निगराकार---------

बनाम

१ मनोज पाण्डेय तनय श्री राजाबाबू पाण्डेय निवासी बम्हनगंवा तहसील रघुराजनगर
जिला सतना मध्य प्रदेश

गैरनिगराकार----------

श्री एस0के0 श्रीवास्तव, आवेदक अधिवक्ता
श्री मुकेश भार्गव, अनावेदक अधिवक्ता

आदेश दिनांक 5/4/16 को पारित

[१] यह निगरानी प्र क्र ४१८७/दो/१३ रा मं में अपर आयुक्त रीवा के प्र क्र ८५९/अपील/१२-१३ में पारित आदेश दि २३-१०-१३ के विरुद्ध संस्थित है.

[२] प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है.

ग्राम घूरडांग में निगरकार की आ नं १६९ और गैरनिगरकार की आ नं १६६/४/३ है, और वे सरहद्दी काश्तकार हैं. तहसीलदार रघुराजनगर के प्र क्र २८/अ-२७/१२-१३ में, हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर निगरकार का गैरनिगरकार की भूमि (वाद भूमि) पर अनधिकृत कब्जा मानते हुए, दि १९-२-१३ को निगरकार के विरुद्ध MPLRC (संहिता) की धारा २५० के अधीन बेदखली का आदेश हुआ. निगरकार ने इसके विरुद्ध अनु अधि के समक्ष अपील की, जहाँ प्र क्र ११७/अपील/१२-१३ के आदेश दि १४-५-१ से अपील अस्वीकृत हुई. इसके विरुद्ध निगरकार ने द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष की, जहाँ आक्षेपित आदेश से वः अस्वीकृत हुई. इसके विरुद्ध निगरकार ने रा मं में यह निगरानी प्रस्तुत की.

[३] प्रकरण में तर्क का अवसर दिया गया और उभयपक्ष की ओर से इस न्यायालय में लिखित तर्क प्राप्त हुए.

निगरकार पक्ष का तर्क है कि उनके विरुद्ध निर्णय केवल पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ले लिया गया है, पटवारी का कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ, पटवारी की रिपोर्ट यह स्पष्ट नहीं करती है कि अनधिकृत कब्जा कबसे और किस भाग पर है, वह (निगरकार) अपने हिस्से की भूमि पर ही निर्माण कर रहा है, और बेदखली की कार्यवाही के पूर्व विधिवत सीमांकन की कार्यवाही नहीं की गई.

गैरनिगरकार पक्ष का तर्क है कि पटवारी रिपोर्ट में नजरी नक्शा भी है, जिससे स्पष्ट होता है कि निगरकार का गैरनिगरकार की भूमि के ८० वर्गफीट पर अनधिकृत कब्जा है, पंचनामा दि २२-३-१३ को निगरकार मौके पर उपस्थित था, और तीन अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, अतः यह निगरानी निरस्त की जाए.

[४] तर्कों के प्रकाश में मैंने अभिलेख का परिशीलन किया.

अपर आयुक्त के आक्षेपित आदेश के परिशीलन से मैं यह पाता हूँ कि उन्होंने इस आदेश में यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया है कि मौके पर किस प्रक्रिया को अपना कर निगरकार का अवैध कब्जा होना निर्धारित किया गया था, क्या विधिवत सीमांकन हुआ था या नहीं, क्या मौके की कार्यवाही के पहले निगरकार को उसकी पूर्व सूचना तामील कराई गई थी या नहीं, यदि यह तामील कराई गई थी तो कैसे, उन्होंने किन आधारों पर अपना पूर्ण समाधान निगरकार की मौके पर उपस्थिति होने और उसे उसके विरुद्ध अवैध कब्जे सम्बन्धी निष्कर्ष निकाले जाने के पूर्व पक्षसमर्थन का योग्य अवसर मिला होने के सम्बन्ध में किया, आदि. इन बिन्दुओं पर पूर्ण स्पष्टता आक्षेपित आदेश में नहीं पाने के कारण, मैं अपर आयुक्त को यह निर्देश देता हूँ कि वे अपने सम्बन्धित प्रकरण क्र ८५९/अपील/१२-३ में उपरोक्त बिन्दुओं पर पूर्ण स्पष्टता लाते हुए नए सिरे से स्व-स्पष्ट, सम्पूर्ण और बोलते स्वरूप का आदेश पारित करें. अपर आयुक्त अपना ऐसा नवीन आदेश, उन्हें रा मं के इस आदेश की संसूचना के अधिकतम दो माह के भीतर पारित करे. नया आदेश पारित होने तक के लिए उनका आक्षेपित आदेश दि २३-१०-१३ प्रभावहीन किया जाता है. उपरोक्तानुसार नया आदेश पारित होने के साथ ही आक्षेपित आदेश अधिक्रमित माना जाएगा.

आदेश पारित.

पक्षकार और अपर आयुक्त रीवा सूचित हों.

प्रकरण समाप्त.

दा द हो.

आशीष श्रीवास्तव

सदस्य